रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042020-219019
CG-DL-E-07042020-219019

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2020/चैत्र 18, 1942
No. 184] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2020/CHAITRA 18, 1942

लोक सभा सचिवालय

(संसद के सदनों की संयुक्त समिति)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 240(अ).—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का संख्यांक 30) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात, संयुक्त समिति, एतद्‌द्वारा संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 में ऐसे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है जिनका अनुमोदन और पुष्टि राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा कर दी गई है जैसाकि उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों को संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2020 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे ।

2 संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 में नियम 2 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"2क. नियम 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक संसद सदस्य, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का संख्यांक 30) की धारा 8 के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक उनचास हज़ार रुपये प्रति माह की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा ।"

[फा. सं. 20/एलएस/एमएसए/2020-2021]

आभा सिंह यदुवंशी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 3 जनवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 11(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

LOK SABHA SECRETARIAT

(JOINT COMMITTEE OF HOUSES OF PARLIAMENT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2020

G.S.R. 240(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Constituency Allowance) Rules, 1986, which have been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People as required under sub-section (4) of that section, namely :—

1. (1) These rules may be called the Members of Parliament (Constituency Allowance) Amendment Rules, 2020

(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2020.

2. In the Members of Parliament (Constituency Allowance) Rules, 1986, after rule 2, the following rule shall be inserted, namely :—

"2A. Notwithstanding anything contained the rule 2, a Member shall be entitled to receive the constituency allowance under section 8 of the Salary, Allowances and Pension of Member of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), at the rate of rupees forty nine thousand per mensem for the period from 1st April, 2020 to the 31st March, 2021.".

[F. No. 20/LS/MSA/2020-2021)

ABHA SINGH YADUVANSHI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 3rd January, 1986 *vide* notification number G.S.R. 11(E), dated the 3rd January, 1986 and last amended *vide* number G.S.R. 302(E), dated the 28th March, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 241(अ).—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का संख्यांक 30) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात, संयुक्त समिति एतद्द्वारा संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भत्ता) नियम, 1988 में ऐसे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, जिसका अनुमोदन और पुष्टि राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा कर दी गई है जैसाकि उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भत्ता) संशोधन नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भत्ता) नियम, 1988 में नियम 3 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

" 3क. नियम 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक संसद सदस्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक चौवन हजार रुपये प्रति माह की दर से कार्यालय व्यय भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा जिसमें से -

(क) चौदह हजार रुपये लेखन सामग्री तथा डाक व्यय हेतु खर्च किए जा सकेंगे; और

(ख) लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय सदस्य द्वारा सचिवीय सहायता के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति(यों) को चालीस हजार रुपये तक का संदाय कर सकेगा परंतु उनमें से एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंप्यूटर-विज्ञ होना चाहिए ।"

[फा. सं. 20/एलएस/एमएसए/2020-2021]

आभा सिंह यदुवंशी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 25 नवम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1093(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 303(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2020

G.S.R. 241(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Office Expense Allowance) Rules, 1988, which have been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People as required under sub-section (4) of that section, namely : -

1. (1) These rules may be called the Members of Parliament (Office Expense Allowance) Amendment Rules, 2020

(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2020.

2. In the Members of Parliament (Office Expense Allowance) Rules, 1988, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:-

" 3A. Notwithstanding anything contained in rule 3, a Member shall be entitled to receive the Office expense under section 8 of the Act, at the rate of rupees fifty four thousand per mensem, out of which-

(a) rupees fourteen thousand shall be for meeting expenses on stationery items and postage; and

(b) the Lok Sabha or the Rajya Sabha Secretariat may pay up to rupees forty thousand to the person(s) as may be engaged by a Member for obtaining secretarial assistance and one such person shall be computer literate duly certified by the Member,

for the period from the 1st April, 2020 to the 31st March , 2021.".

[F. No. 20/LS/MSA/2020-2021)

ABHA SINGH YADUVANSHI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R 1093(E), dated the 25th November, 1988 and last amended *vide* notification number G.S.R. 303(E), the 28th March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2020.04.07 18:37:57 +05'30'